शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कंमाक/राशिके/आरटीई/2020/ 422 भोपाल दिनांक 17.01.2020

प्रति,

1 **कलेक्टर**
समस्त जिला– म.प्र.

2 **जिला शिक्षा अधिकारी**
समस्त जिला–म.प्र.

3 **विकासखंड श्रोत समन्वयक**
जनपद शिक्षा केन्द्र,
समस्त विकासखंड़ श्रोत केन्द्र, म.प्र.

विषयः– शिक्षा का अधिकारः– सत्र 2020–21 से प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता/नवीनीकरण आवेदन मोबाइल एप के माध्यम से करने की नवीन व्यवस्था के संबंध में।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित किये गये है। नियम ,2011के नियम 11(1) के अनुसार जिले में संचालित कक्षा–8 तक के समस्त प्रायवेट स्कूलों को सत्र 2020–21 की मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

सत्र 2020–21 से ऑनलाइन मान्यता प्रकिया को मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है, ताकि प्रायवेट स्कूल द्वारा किसी अन्य की मदद के बगैर स्वयं अपने मोबाइल का उपयोग करते हुये आवेदन किया जा सके। आरटीई के मान एवं मापदंडों की पूर्ति हेतु शाला में आवश्यक अधोसंरचना की मोबाइल एप से GEO टेग फोटो, शिक्षको की मोबाइल एप से GEO टेग फोटो लेना तथा प्रायवेट स्कूलों की GEO टेग फोटो लेना अनिवार्य किया गया है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। मोबाइल एप के माध्यम से सत्र 2020–21 से मान्यता की प्रकिया निम्नानुसार रहेगीः–

अः–प्रायवेट स्कूल द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

1 स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से **m-Shiksha Mitra** एप डाउनलोड़ कर मोबाइल में इंस्टाल किया जाये।

2 स्कूल संचालक के मोबाइल में यदि **m-Shiksha Mitra** एप पूर्व से इंस्टॉल है तो उसे स्कूल संचालक द्वारा **Uninstall** किया जाये। स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से **m-Shiksha Mitra** एप डाउनलोड़ कर मोबाइल में इंस्टाल किया जाये।

3 स्कूल के पासवर्ड का दुरूपयोग न हो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है कि, अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नही करें एवं किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से आवेदन नहीं करें। यदि अन्य किसी को पासवर्ड प्रदान किया जाता है तो उसके दुरूपयोग होने की संभावना हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। अतः इसका विशेष ध्यान रखें।

4 स्कूल द्वारा एम शिक्षा मित्र एप में स्वयं के यूजर पासवर्ड का उपयोग करते हुये मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। सत्र 2020–21 से केवल इसी एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। **डेस्कटॉप के माध्यम से आवेदन नही किया जा सकेगा।**

5 यदि कोई संस्था सत्र 2020–21 से नवीन स्कूल संचालित करना चाहता है तो मान्यता प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्था द्वारा **ऑनलाइन आवेदन** करना अनिवार्य है।

6 जिन मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है उनके द्वारा समय सारणी अनुसार नवीनीकरण हेतु उक्त वर्णित प्रकिया अनुसार आवेदन करना आवश्यक है।

7 यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल में कक्षा की वृद्वि की जाना है अर्थात यदि कोई स्कूल 5वी तक है परन्तु उसे 8वी तक करना चाहते है तो उनके द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रकिया अनुसार किया जा सकता है।

8 मान्यता नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल को जिस आईडी के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई है उसी के माध्यम से मान्यता का नवीनीकरण किया जायेगा।

9 स्कूल द्वारा डाइस कोड सही–सही अंकित किया जाये यदि डाइस कोड ज्ञात नही है तो जिला परियोजना समन्वक, कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है।

10 मान्यता हेतु मोबाइल एप के माध्यम से समस्त जानकारी अंकित की जायेगी एवं इसके लिये आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक फोटों लेते हुये समस्त जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदन लॉक करने के पूर्व चेक की जायेगी। समस्त जानकारी अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही जानकारी को लॉक किया जायेगा। एक बार जानकारी लॉक हो जाने के पश्चात कोई संशोधन संभव नही हो सकेगा। अतः सावधानी पूर्वक ही आवेदन को लॉक कर विकासखंड़ श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड़ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को अग्रेषित किया जाये, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।

11 ऑनलाइन आवेदन लॉक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंट आउट लिया जायेगा।

बः– विकासखंड़ श्रोत समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. स्कूल द्वारा दर्ज आवेदन मय फोटोग्राफ सहित विकासखंड़ श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड़ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) के लॉगिन में प्रर्दशित होगा उस जानकारी के अनुसार विकासखंड़ श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड़ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) संबधित स्कूल में निरीक्षण हेतु जायेगे। निरीक्षण में पायी गयी वास्तविक जानकारी को मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करेगे एवं अपने स्पष्ट अभिमत सहित जिला शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करेगे। निरीक्षण की कार्यवाही प्राथमिकता कम से की जाये। अभिलेख के रूप में रिकार्ड संधारण विकासखण्ड श्रोत केन्द्र कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

सः–जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. स्कूल के आवेदन तथा विकासखंड़ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के पश्चात पायी गयी वास्तविक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित मान एवं मापदंड़ो की पूर्ति करने वाले स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि कोई स्कूल जो निर्धारित मान एवं मापदंडो की पूर्ति नही करता है तो, ऐसे आवेदन निरस्त किये जायें, अन्यथा की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं अपने डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग कर मान्यता प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जायेगी। डिजीटल हस्ताक्षर के उपयोग की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

4. जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर स्कूल को प्रेषित करेगें तथा इसकी कार्यालयीन प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संधारित की जायेगी। मान्यता जारी करने की अथवा मान्यता आवेदन निरस्त करने की कार्यालयीन प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संधारित की जायेगी।
5. यदि स्कूल की मान्यता का आवेदन अमान्य किया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उप नियम का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र अमान्य करने के कारण सहित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
6. मान्यता आवेदनों का निराकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक के क्रम से किया जाये।
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त अशासकीय स्कूलों के डाइस कोड सही–सही हो।
8. यदि कोई स्कूल बगैर मान्यता के संचालित पाया जाता है तो उसके विरूद्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार कार्यवाही की जाये। बगैर मान्यता के यदि कोई अशासकीय स्कूल संचालित पाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे।

दः–जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त मान्यता आवेदनों हेतु अपील का प्रावधानः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि किसी कारण से कोई मान्यता आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबधित स्कूल संचालक द्वारा आवेदन निरस्त होने के 45 दिवस के अंदर कलेक्टर न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
2. अपीलीय आवेदनों का अंतिम निराकरण कलेक्टर द्वारा 15 दिवस में किया जाकर निर्णय पारित किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित कर सकेंगे, तदानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मान्यता प्रदान करने की प्रविष्टि की जा सकेगी।

सत्र 2020–21 नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु समय सारणी निम्नानुसार हैः–

क	कार्यवाही	कार्यवाही हेतु समय सीमा
1	प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरणहेतु मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन	20 जनवरी से 10 फरवरी 2020 तक
2	बी.आर.सी.सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना	21 जनवरी से 25 फरवरी 2020 तक
3	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण	25 जनवरी से 20 मार्च 2020 तक
4	कलेक्टर के समक्ष अपील करना	मान्यता आावेदन निरस्त दिनांक से 45 दिवस तक।
5	कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण	स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक

कृपया नवीन मान्यता आवेदन/नवीनीकरण हेतु संबधित अशासकीय स्कूलों को अवगत करायें एवं नवीन व्यवस्था के संबंध मीडिया तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराते हुये नियमानुसार, पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक

पृ.कंमाक / राशिके / आरटीई / 2020 / 423 भोपाल, दिनांक 17.01.2020

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।

2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।

3 आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल म.प्र. की और प्रचार–प्रसार हेतु ।

4 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल।

5 आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

6 संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश ।

7 राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एन.आई.सी विध्यांचल भवन भोपाल।

8 श्री सुनील जैन, बरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी. विध्यांचल भवन, भोपाल की और तकनीकी व्यवस्था करनें वावत।

9 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

10 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

11 समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र की और उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत।

सचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र